



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072022-237257
CG-DL-E-12072022-237257

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499]
No. 499]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2022/आषाढ 21, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2022/ASHADHA 21, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2022

सं. 39/2022- सीमा शुल्क

सा.का.नि. 539(अ).— केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप- धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर की लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017 - सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून 2017, जिसे सा. का. नि. 785(अ), दिनांक 30 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 515A के सामने, स्तंभ (2) में, अंक "8529" के स्थान पर, अंक "8524" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/22/2022-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 33/2022- सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022, जिसे सा.का.नि. 486(अ), दिनांक 30 जून, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th July, 2022

No. 39/2022-Customs

G.S.R. 539(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table, against S. No. 515A, in Column (2), for the figure “8529”, the figure “8524” shall be substituted.

[F. No. CBIC-190341/22/2022-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended, *vide* notification No. 33/2022-Customs, dated the 30th June, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 486(E), dated the 30th June, 2022.